

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

E-mail

पत्रांक-6ए/प्र04-105/2024 522

पटना, दिनांक- 19/02/2024

प्रेषक,

नित्यानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार) मा०स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 206वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-पी.एच.ई.-7 (नेवा नं०-1/206/586) के संबंध में।

प्रसंग:- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय का ज्ञापांक-624 (5) (प्र०) वि०प०, दिनांक-15.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार) मा०स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 206वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-पी.एच.ई.-7 (नेवा नं०-1/206/586) का आंशिक विषयवस्तु पंचायती राज विभाग से संबंधित है।

अतः कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक-769, दिनांक-16.02.2024 द्वारा प्राप्त उतर प्रतिवेदन एवं मूल प्रश्न की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है एवं इसकी सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को दी जा रही है।

अनु०-यथोपरि।

विश्वासभाजन



(नित्यानन्द प्रसाद)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 522

पटना दिनांक- 19/02/2024.

प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय का ज्ञापांक-624 (5) (प्र०)

वि०प०, दिनांक-15.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार) मा0स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 206वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-पी.एच.ई.-7 (नेवा नं0-1/206/586)

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

मंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला में पंचायती राज के अंतर्गत सभी वार्ड में संचालित नल जल योजना का अधिग्रहण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कर लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
(ख) क्या यह सही है कि अधिग्रहण के पश्चात नल जल योजना के स्थानीय स्तर पर संचालन के अनुरक्षक की नियुक्ति की गई है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक-6ए/वि01-1020/2023-943, दिनांक-05.06.2023 के द्वारा योजना का हस्तांतरण As is where is के आधार पर प्राप्त किया गया है। हस्तांतरण प्राप्त 3270 वार्डों में पूर्व से कार्यरत पम्प चालक ही कार्यरत हैं। पम्प संचालन हेतु अनुरक्षक की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गई है।
(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिग्रहण के समय से पहले इन सभी नल जल योजनाओं के पंप अनुरक्षक के लम्बित मानदेय का भुगतान अधिग्रहण के पूर्व कब तक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। योजना हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुरक्षकों की हस्तांतरण पूर्व अवधि में लंबित मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है। जिसके लिए इस कार्यालय के पत्रांक-522 दिनांक-19.02.2024 द्वारा पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

जापांक-6ए/प्र04-105/2024 523 पटना, दिनांक- 19.2.24
प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ अवर सचिव, बिहार विधान-परिषद्, बिहार, पटना के जापांक-624 (5) (प्र0) वि0प0, दिनांक-15.02.2024 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

संयुक्त सचिव (प्र0को0)

पत्रांक...../

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

सेवा में,

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

समस्तीपुर, दिनांक...../

विषय:- माननीय श्री तरुण कुमार, सं०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1/206/586 का उत्तर समाग्री समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर सूचित करना है कि माननीय श्री तरुण कुमार सं०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1/206/586 का उत्तर समाग्री तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जाती है।

अनु०:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर।
15/02/24

ज्ञापांक...../

दिनांक...../

प्रतिलिपि:- उत्तर समाग्री के साथ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षे: मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा को सादर सूचनाए समर्पित।

अनु०:- यथोपरि।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर।
15/02/24

श्री तरुण कुमार, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1/206/586 का उत्तर
समाप्ती

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलों में पंचायती राज के अंतर्गत सभी वार्ड में संचालित नल जल योजना का अधिग्रहण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कर लिया गया है।	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि अधिग्रहण के पश्चात नल जल योजना के स्थानीय स्तर पर संचालन के अनुष्क की नियुक्ति की गई है।	अस्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक-6ए/वि01-1020/2023-943, दिनांक-05.06.2023 के द्वारा योजना का हस्तांतरण As it is where it is के आधार पर प्राप्त किया गया है। हस्तांतरण प्राप्त 3270 वार्डों में पूर्व से कार्यरत पम्प चालक का भी हस्तांतरण प्राप्त किया गया। पम्प संचालन हेतु नये अनुष्क की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिग्रहण के समय से पहले इन सभी नल जल योजनाओं के पंप अनुष्क के लंबित मानदेय का भुगतान अधिग्रहण के पूर्व कब तक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। योजना हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुष्कों की हस्तांतरण पूर्व अवधि में लंबित मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।

15/02/24

(21)

ज्ञापांक 624(5) (प्र०) वि०प०

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

सेवा में

श्री अरवि कुमार विभाग

पटना, दिनांक 15/2/24 20

श्री अरवि कुमार

स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद्

के 206 वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या

वि०प० 3.7

जिस रूप में सभापति द्वारा

स्वीकृत किया गया है, संवेष्टित है।

इन तारांकित प्रश्नों को सदन के कार्यक्रम पर लाये जाने की तिथि शीघ्र ही सूचित की जायेगी।

अरवि कुमार
15/2/24

अवर-सचिव,

बिहार विधान परिषद्।

15.4.24
4.6A
3.4.24
16.2.24

वर्ग-2

नेवा नं०- 1/206/586

तारांकित प्रश्न - पी.एच.ई - 7

माननीय सदस्य- श्री तरुण कुमार

नल जल योजना

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला में पंचायती राज के अंतर्गत सभी वार्ड में संचालित नल जल योजना का अधिग्रहण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कर लिया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि अधिग्रहण के पश्चात नल जल योजना के स्थानीय स्तर पर संचालन के अनुरक्षक की नियुक्ति की गई है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिग्रहण के समय से पहले इन सभी नल जल योजनाओं के पंप अनुरक्षक के लम्बित मानदेय का भुगतान अधिग्रहण के पूर्व कब तक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?